उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-107/2017/3609/दो-2-2017-28/2(25)/2017
लखनऊ: दिनांक: 04 अक्टूबर, 2017

<u>आदेश</u>

श्री विद्या शंकर सिंह-I, सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 ने अपने भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-70309 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत जी0पी0एफ0 का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री विद्या शंकर सिंह-I, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-18/मिलान डायरी-224/42292/53039 दिनांक 29-08-2017 के अनुसार 2016-17 तक कुल जमा धनराशि रू0-13,62,463/- (रूपये तेरह लाख बासठ हजार चार सौ तिरसठ मात्र) जिस पर 3/2017 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-12,26,217/- (रूपये बारह लाख छब्बीस हजार दो सौ सत्रह मात्र) होती है, के भुगतान किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-4ए0जी057/दस-84-510/84 दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किये जा रहे है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री विद्या शंकर सिंह-I, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत भाग से अधिक नहीं है।

धनन्जय शुक्ल
संयुक्त सचिव ।

<u>संख्या एवं तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिनि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री विद्या शंकर सिंह-I, पी0सी0एस0 के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान करने का कष्ट करें।
[redacted] मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी।
4- श्री विद्या शंकर सिंह-I, से0नि0 पी0सी0एस0, पता-एस0एच0-15/182-ए-10-पी, हनुमन्त विहार कालोनी, वाराणसी।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-107/2017/3607/दो-2-2017-28/2(25)/2017

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पेंशन निदेशालय,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 04 अक्टूबर, 2017

विषय:- श्री विद्या शंकर सिंह-I, सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 के पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री विद्या शंकर सिंह-I, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 30-09-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण प्रपत्रों की दो प्रतियॉं संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री विद्या शंकर सिंह-I के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अत: इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त ।

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री विद्या शंकर सिंह-I, से0नि0 पी0सी0एस0, पता-एस0एच0-15/182-ए-10-पी, हनुमन्त विहार कालोनी, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-107/2017/3608/दो-2-2017-28/2(25)/2017

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग),
उत्तर प्रदेश शासन।

नियुक्ति अनुभाग-2 **लखनऊ:** **दिनांक: 04 अक्टूबर, 2017**

विषय:- श्री विद्या शंकर सिंह-I, सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 को देय अर्जित अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री विद्या शंकर सिंह-I, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 30-09-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री विद्या शंकर सिंह-I, से0नि0 पी0सी0एस0, पता-एस0एच0-15/182-ए-10-पी, हनुमन्त विहार कालोनी, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।